न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 802/2023

अनवान : –

1. मोमन सिंह पुत्र बने सिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. प्रताप सिंह पुत्र बने सिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. इन्द्र सिंह पुत्र बने सिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. सुमन कंवर पत्नी नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. द्रविड़ सिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. किरण कंवर पुत्री बने सिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

7. तेजकंवर पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः– 29/02/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 17/15 की कुल 49.2570 हैक्ट भूमि में से 107/7578 हिस्सा भूमि वादी, 4742/246285 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2149/492570 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2, 4268/246285 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3, 4268/246285 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4, 8536/249285 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 तथा 9323/164190 हिस्सा भूमि तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता के नाम दर्ज थी उनके देहान्त के बाद वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज हुयी। प्रतिवादी संख्या 7 किरण कंवर जो की वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ननद व बुआ है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं पतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना हक हिस्सा अपनी माता के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 7 के नाम 1.8969 हैक्ट [illegible] रहेगी। एवं प्रतिवादी संख्या 5 का नाम जमाबंदी से कलमजन किया [illegible] न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:07:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (...)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है तथा प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित किया की प्रतिवादी संख्या 7 को जो भी हक हिस्सा है यथावत रखा जा रहा है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार की सदस्य है। प्रतिवादीया संख्या 5 ने उक्त वाद भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी संख्या 4 ने भी अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 17/15 की कुल 49.2570 हैक्ट भूमि में से 107/7578 हिस्सा भूमि वादी, 4742/246285 हिस्सा भूमि प्रतिवा... हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2, 4268/246285 हिस्सा भूमि प्रतिवा... भूमि प्रतिवादी संख्या 4, 8536/249285 हिस्सा भूमि प्रति... 9323/164190 हिस्सा भूमि तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वा... द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:07:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीया संख्या 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा यथावत रखा जा रहा है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 17/15 की कुल 49.2570 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब 5.2712 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये ज़ाते है एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का नाम कलमजन किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज 1.8969 हैक्ट भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/02/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:07:08 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 802/2023

अनवान : –

1. मोमन सिंह पुत्र बने सिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. प्रताप सिंह पुत्र बने सिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. इन्द्र सिंह पुत्र बने सिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. सुमन कंवर पत्नी नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. द्रविड़ सिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. किरण कंवर पुत्री बने सिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

7. तेजकंवर पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत निवासी जबरासर तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 802 सन 2023 निर्णय दिनांक – 29/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 17/15 की कुल 49.2570 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब 5.2712 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का नाम कलमजन किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज 1.8969 हैक्ट भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/02/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:07:08 IST
Reason: SelfAttested